पत्रांक–श्रम स्वा0बी0यो0–175/2013– 1285

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति।

प्रेषक,

सुभाष शर्मा,
प्रधान सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
(बिहार)।

पटना, दिनांक– 24.07.13

विषय :– राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनांतर्गत चिन्हित सूचीबद्ध प्रसिद्ध अस्पतालों को गर्भाशय सर्जरी के लिए प्राधिकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनांतर्गत विगत दो वर्षों में की गई गर्भाशय सर्जरी की जांच के फलस्वरूप जो स्थिति स्पष्ट हुई है, उसके तहत अवांछनीय गर्भाशय सर्जरी को बड़े पैमाने पर रोकने की आवश्यकता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, ने अनावश्यक गर्भाशय सर्जरी को रोकने हेतु ये व्यवस्था सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में लागू की है, कि 40 वर्ष एवं इससे ऊपर के रोगी की गर्भाशय सर्जरी अस्पताल अपने स्तर से करने में स्वतंत्र है, परन्तु उससे कम उम्र के रोगी के गर्भाशय सर्जरी करने से पहले उसे संबंधित बीमा प्रदाता से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

2. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–17.07.13 को एक बैठक आयोजित हुई जिसमें उक्त विषय पर विचार विमर्श हुआ तथा पाया गया कि गर्भाशय की सर्जरी अनावश्यक रूप से करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार की उक्त व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। अतएव निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार की उपर्युक्त व्यवस्था को लागू रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनांतर्गत सभी जिलों में निम्नांकित व्यवस्था भी लागू की जाय :–

i. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत गर्भाशय सर्जरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, तथा प्रसिद्ध निजी अस्पतालों द्वारा ही किये जायें।

ii. उपरोक्त प्रसिद्ध अस्पतालों जहां गर्भाशय सर्जरी की अनुमति दी जाएगी, का चयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला कोर कमिटि करेगी।

iii. ऐसे प्रत्येक प्रसिद्ध अस्पताल में एक कमिटि गठित की जाएगी जिसमें कम–से–कम दो सर्जन सदस्य होंगे (जिसमें एक सर्जन स्त्री रोग विशेषज्ञ हो)। ये कमिटि इस बात की जांच करेगी कि स्मार्ट कार्ड

धारी रोगी महिला का गर्भाशय सर्जरी आवश्यक है अथवा नहीं। इस कमिटि की अनुशंसा पर ही गर्भाशय सर्जरी की जाएगी। जिन अस्पतालों में दो सर्जन नहीं हो, उसे प्रसिद्ध अस्पताल के रूप में चिन्हित नहीं किया जाय।

iv. उपर्युक्त चिन्हित प्रसिद्ध अस्पतालों को छोड़कर अन्य किसी अस्पताल में गर्भाशय सर्जरी नहीं हो, इसे जिला प्रशासन एवं बीमा प्रदाता सुनिश्चित करेंगें। इसके बावत बीमा कंपनियाँ अन्य अस्पतालों के साफ्टवेयर में गर्भाशय सर्जरी के पैकेज को ब्लॉक कर सकेंगी।

उपर्युक्त व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करना कृपया सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

(सुभाष शर्मा)
प्रधान सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–श्रम स्वा0बी0यो0–175/2013 – 1285

पटना, दिनांक–24.07.13

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबद्ध सभी बीमा प्रदाताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. सभी जिले के डी0के0एम0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रधान सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।